भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1684
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों की कमी

1684. श्री वी.के.श्रीकंदन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 2030 तक देश के 700 विमानों के बेड़े को दोगुना कर दिया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 5 से 6 वर्षों में विमानों के बेड़े को दोगुना करने के लिए तैयार रहने हेतु सुदृढ़ विमानन पारिस्थि तिकी तंत्र की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा हाल ही में निर्धारित किए गए नए मानदंडों के कारण पायलटों की कमी के मुद्दे की जानकारी है जिसमें 15 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि देश में विमानन उद्योग के प्रत्याशित विकास के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में विशेषकर तकनीशियनों और इंजीनियरों में कौशल की कमी उत्पन्न हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा दिए गए ऑर्डर का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 तैयार की है, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ-साथ 'उड़ान' योजना के तहत हवाईअड्डों के बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

इसके अलावा, भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों/क्रू की कोई कमी नहीं है। तथापि, कुछ निश्चित प्रकार के विमानों पर कमांडरों की कमी है और इसे विदेशी एयरक्रू अस्थायी प्राधिकार (एफएटीए) जारी करके विदेशी पायलटों के उपयोग से व्यवस्थित किया जा रहा है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस निम्नलिखित हैं –

वर्ष	जारी किए गए सीपीएल
2019	744

2020	578
2021	862
2022	1165
2023	1622
2024 (दिनांक 17.07.2024 तक)	739
कुल	5710

(घ) और (ङ): डीजीसीए ने विनियम, "सीएआर - 147 (मूल) - अनुमोदित बुनियादी रखरखाव प्रशिक्षण संगठन" जारी किया है। ये विनियम आईसीएओ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात ईएएसए विनियमों के अनुरूप हैं।

सीएआर-147 (मूल) अनुमोदित संस्थान से प्रशिक्षण पूरा करने और अपेक्षित डीजीसीए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्र विमान अनुरक्षण इंजीनियर्स (एएमई) लाइसेंस जारी किए जाने के पात्र हो जाते हैं।

वर्तमान में, सीएआर-147 (मूल) के तहत डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किये गए 57 एएमई प्रशिक्षण संस्थान हैं। सीएआर 147 (मूल) के तहत अनुमोदित एएमई प्रशिक्षण संस्थान से अनुमानित आपूर्ति लगभग 3500 प्रति वर्ष है, जो भारतीय नागर विमानन उद्योग की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नागर विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति लाया है, जिसके तहत हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी हद तक तर्कसंगत बनाया गया है।

(ii) वर्ष 2021 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कालाबुरागी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबाड़ी (असम) में पांच हवाईअड्डों पर नौ एफटीओ स्लॉट प्रदान किए। जून 2022 में बोली प्रक्रिया के दूसरे चरण में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पाँच हवाईअड्डों पर छह एफटीओ स्लॉट प्रदान किए गए जो निम्नलिखित हैं: भावनगर (गुजरात) में दो स्लॉट, और हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), किशनगढ़ (राजस्थान) और सेलम (तमिलनाडु) में एक-एक स्लॉट।

(iii) डीजीसीए ने नवंबर 2021 से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स (एएमई) और फ्लाइंग क्रू (एफसी) उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन-ऑन डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई) शुरू की है। इस सुविधा से उम्मीदवार उपलब्ध परीक्षा स्लॉट से तारीख और समय चुन सकते हैं।

(iv) डीजीसीए ने एफटीओ में उड़ान परिचालनों को प्राधिकृत करने हेतु उड़ान प्रशिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए अपने विनियमों में संशोधन किया है। यह अब तक केवल मुख्य उड़ान प्रशिक्षक (सीएफआई) या डिप्टी सीएफआई तक ही सीमित था।

अनुलग्नक

प्रमुख एयरलाइनों द्वारा दिए गए विमान ऑर्डर

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	विमान का प्रकार	ऑर्डर किये गये विमानों की संख्या	वर्ष	दिनांक **30.06.2024** तक पहले से आयातित विमानों की संख्या	शामिल करने के लिए संभावित समय-सीमा
1	**एअर इंडिया समूह**	ए320/ए321	210	2023	23	वर्ष 2023 से 2032
		ए350	40	2023	6	वर्ष 2023 से 2032
		बी787	20	2023	-	वर्ष 2025 से 2034
		बी777	10	2023	-	वर्ष 2025 से 2034
		बी737-8	190	2023	22	वर्ष 2023 से 2032
2	**इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)**	ए320 फैमिली	400	2015	205	किया जा रहा है
		ए320 फैमिली	300	2019	-	वर्ष 2025 के बाद से
		ए320 फैमिली	500	2023	-	वर्ष 2030 के बाद से
		ए350	30	2024		
		एटीआर 72-212ए (600 संस्करण)	50	2017	45	किया जा रहा है
3	**एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर)**	13737-8	76	2021	23	किया जा रहा है और वर्ष 2028 तक शामिल किया जाएगा

		बी737-8	150	2024	-	वर्ष 2027 से 2032
कुल			**1976**		**324**	

स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)

टिप्पणी:

1. एयरलाइन प्रचालकों द्वारा विमानों को शामिल करने के साथ- साथ पट्टे की अवधि की समाप्ति के अनुरूप उनके मौजूदा विमानों की पुनः डिलीवरी/निर्यात भी किया जाएगा। इसलिए विमानों को शामिल करने से एयरलाइन बेड़े में वृद्धि के साथ- साथ समय के साथ मौजूदा बेड़े को बदले जाने की आवश्यकता भी पूरी होगी।
2. एयरलाइन प्रचालक वाणिज्यिक सरोकारों के आधार पर समय के साथ अपने बेड़े की आयोजना/अनुकूलन करेंगे।

*****